उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
Uttarakhand Power Corporation Limited
(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)
CIN: U40109UR2001SGC025867
Email ID: cgmreports@gmail.com. Website: www.upcl.org

पत्रांकः /मु0अ0(वा0)उ0पा0का0लि/अधीअभि–II/सी।।/प्री0मी0 दिनांकः – 05–2022

कार्यालय ज्ञाप

माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु अनुमोदित **टैरिफ ऑर्डर दिनांक 31/03/2022** के अनुसार प्रीपेड मीटरिंग (Prepaid Metering) प्रणाली के संदर्भ निहित प्राविधानों के अनुपालानार्थ निम्न आदेश निर्गत किये जाते हैं:–

1. 25 किलोवाट भार तक के सभी श्रेणियों के एल0टी0 उपभोक्ता, प्रीपेड मीटरिंग का विकल्प चुन सकते हैं। 25 किलोवाट भार तक के समस्त नये अस्थायी एल0टी0 संयोजन, सरकारी संस्थाओं के संयोजन तथा विज्ञापन/होर्डिंग्स के संयोजन अनिवार्य रूप से प्रीपेड मीटरिंग के माध्यम से ही निर्गत किये जायेगें। प्रीपेड मीटरों द्वारा विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में आवश्यक सूचनायें **सलंग्नक–1** में वर्णित है।
2. प्रीपेड मीटरिंग के अंतर्गत बिल की गणना हेतु उपभोक्ताओं की श्रेणियां बनाई गई हैं। इन श्रेणियों का विवरण **संलग्नक–2** में वर्णित हैं ।
3. प्रीपेड मीटरिंग के अंतर्गत **सलंग्नक–3** में वर्णित की गई Categories के लिए Software Constraints के कारण टैरिफ Upload नही किया गया है।
4. RTS-3 के अंतर्गत प्रीपेड मापक के द्वारा निर्गत किये गये संयोजनों के सापेक्ष अनुरक्षण शुल्क (maintenance charges) वर्तमान में चालू संयोजनों पर लागू दरों की भांति संबंधित खण्डों द्वारा चार्ज किया जायेगा।
5. प्रीपेड मीटरिंग प्रणाली के प्रचार प्रसार हेतु प्रीपेड मीटरिंग से संबंधित मुख्य बिन्दुओं को, सभी विद्युत वितरण खण्डों द्वारा माह मई 2022 के बिलों के साथ सभी एल0टी0 (25 कि0वा0 तक) उपभोक्ताओं के संज्ञानार्थ प्रेषित किया जाना सुनिश्चित कर लिए जाये।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

संलग्नः यथोपरि।

(जी0 एस0 कुँवर)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

पत्रांकः 2059/उपाकालि/कॉम/प्री0मी0 **दिनांकः** 23 05–2022

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक,उपाकालि0, गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2 निदेशक (परिचालन)/निदेशक (परियोजना)/निदेशक (वित्त),उपाकालि0, गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3 समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), उपाकालि।
4 महाप्रबन्धक (वित्त), उपाकालि, गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड, देहरादून ।
5 समस्त अधिशासी अभियन्ता (वितरण)/(परीक्षण),उपाकालि।
6 अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), उपाकालि, गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को संलग्नक सहित इस आशय से प्रेषित की कार्यालय ज्ञाप को उपाकालि की बेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(जी0 एस0 कुँवर)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

प्रीपेड मीटरों द्वारा विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में सूचना

माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश **दिनांक 31–03–2022** में प्रीपेड मीटरों के माध्यम से विद्युत आपूर्ति हेतु दिये गये आवश्यक प्रावधानों के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं :–

1 25 किलोवाट भार तक के सभी श्रेणियों के एल0टी0 उपभोक्ता, प्रीपेड मीटरिंग का विकल्प चुन सकते हैं। 25 किलोवाट भार तक के समस्त नये अस्थायी एल0टी0 संयोजन, सरकारी संस्थाओं के संयोजन तथा विज्ञापन/होर्डिंग्स के संयोजन अनिवार्य रूप से प्रीपेड मीटरिंग के माध्यम से ही निर्गत किये जायेगें। लेकिन आर0टी0एस0 -5 से आवरित सीज़नल इण्डस्ट्रीज के उपभोक्ताओं पर प्रीपेड मीटरिंग लागू नहीं है।

2 सिंगल फेज व थ्री फेज प्रीपेड संयोजनों के लिए रिचार्ज कूपन का मूल्य न्यूनतम रू0 100 एवं अधिकतम रू0 15000 होगा। रिचार्ज कूपन की वैधता उपभोक्ता के प्रीपेड अकाउन्ट में धनराशि रहने तक रहेगी। उपभोक्ता द्वारा 20 अंक का विशेष मीटर कोड उपलब्ध कराये जाने पर ही प्रीपेड मीटर का रिचार्ज कराया जा सकेगा।

3 प्रीपेड़ मीटर परीक्षण शुल्क टैरिफ आदेश में दी गयी Schedule of Miscellaneous Charges के अनुसार सामान्य उपभोक्ताओं की भांति देय होगा। मीटर परीक्षण शुल्क रिचार्ज राशि/प्रीपेड आकाउन्ट से घटाया/समायोजित नही किया जायेगा।

4 ऐसे उपभोक्ता जो अपने सामान्य संयोजन को प्रीपेड विद्युत संयोजन में परिवर्तित कराने का विकल्प चुनते हैं तथा उनके वर्तमान विद्युत संयोजन के विरूद्व विद्युत देयों की धनराशि लम्बित है ऐसी दशा में उनके रिचार्ज वाउचर (धनराशि) से लम्बित बकाया राशि का 20 प्रतिशत अथवा रिचार्ज वाउचर (धनराशि) का 50 प्रतिशत जो भी अधिक हो, बकाया मद में समायोजित कर लिया जायेगा। समायोजित की जाने वाली राशि बकाया राशि की अधिकतम सीमा तक हो सकती है। जिन उपभोक्ताओं के विरूद्व विद्युत देयों की धनराशि लम्बित है, उन पर रिचार्ज कूपन की अधिकतम सीमा लागू नही होगी एवं ऐसे उपभोक्ता लम्बित बकाया धनराशि के 20 प्रतिशत से अधिक मूल्य के रिचार्ज कूपन कय कर सकेगें।

5 प्रीपेड मीटर में न्यूनतम बेलेन्स की सूचना हेतु अलार्म का प्रावधान होगा।

6 प्रीपेड़ मीटर से विद्युत आपूर्ति पाने वाले उपभोक्ताओं से विद्युत मूल्य के सापेक्ष कोई जमानत राशि नही ली जायेगी, लेकिन मीटर की लागत तथा अन्य सम्बन्धित उपकरणों के लिये सामग्री के मूल्य के सापेक्ष जमानत राशि ली जायेगी जिसे संयोजन के स्थाई विच्छेदन के समय उक्त सामग्री के मूल्यहृास (Depreciation) के समायोजन उपरान्त उपभोक्ता को वापस कर दिया जायेगा। उक्त जमानत धनराशि वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु सिंगल फेज संयोजनों के लिए रू0 5,000 (पांच हजार) तथा थ्री फेज संयोजनों के लिये रू0 10,000 (दस हजार) निर्धारित की गयी है। आर0टी0एस0 -1 से आवरित बी0पी0एल0 श्रेणी के उपभोक्ताओं को उक्त जमानत राशि में पूर्णतया छूट है।

7 उपभोक्ता को चालू वित्तीय वर्ष में सामान्य संयोजन को प्रीपेड अथवा प्रीपेड संयोजन को सामान्य संयोजन में परिवर्तन किये जाने हेतु केवल एक बार ही अवसर प्राप्त होगा।

8 प्रीपेड मीटरिंग के माध्यम से विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर रहे उपभोक्ताओं को यह सुविधा होगी कि शून्य बेलेन्स के कारण नॉन वर्किंग आवर्स (रात्रि समय अथवा अवकाश) में विद्युत आपूर्ति बाधित नही होगी तथा उपभोक्ता को अगले कार्य दिवस समयावधि में रिचार्ज कराना अनिवार्य होगा, यद्यपि शून्य बेलेन्स एवं नये रिचार्ज कूपन के क्रय के मध्य की गयी बिजली खपत का मूल्य प्रीपेड रिचार्ज अकाउन्ट में स्वतः समायोजित हो जायेगा।

9 वर्तमान में लागू टैरिफ आर्डर के प्रावधानों के अनुसार घरेलू श्रेणी के प्रीपेड उपभोक्ताओं को विद्युत मूल्य पर 4 प्रतिशत तथा अन्य श्रेणी के प्रीपेड उपभोक्ताओं को 3 प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी। परन्तु अस्थायी श्रेणी के विद्युत संयोजनों पर यह छूट अनुमन्य नहीं होगी। अन्य घरेलु श्रेणी के सामान्य उपभोक्ताओं (दर सूची आर0टी0एस0–01(पैरा–2(1.2)), जिन्हें फिक्स्ड चार्जेज विद्युत यूनिट की खपत के अनुसार देय है, द्वारा प्रीपेड मीटर संयोजन का विकल्प चयनित किये जाने की स्थिति में फिक्स्ड चार्जेज एक ही दर यथा–रू0 60/कि0वा0/माह देय होगा।

10 प्रीपेड मीटरिंग से विद्युत आपूर्ति पाने वाले उपभोक्ताओं पर वोल्टेज रिबेट/सरचार्ज, लो पावर फैक्टर सरचार्ज, अधिक भार पैनल्टी की देयता नही होगी।

11 सोलर वाटर हीटर की छूट निम्न प्रकार से समायोजित की जायेगी:–

(1) प्रीपेड मीटर की स्थापना के उपरान्त पहले माह की छूट उपभोक्ता द्वारा कराये जाने वाले प्रथम रिचार्ज पर तत्काल ही समायोजित की जायेगी। तत्पश्चात प्रतिमाह रिचार्ज पर माहवार छूट रिचार्ज अकाउन्ट में जोड़ (Credit) दी जायेगी।

(2) उपभोक्ता द्वारा प्रतिमाह रिचार्ज नहीं कराये जाने की स्थिति में शेष माह के विद्युत सोलर वाटर हीटर रीबेट का समायोजन रिचार्ज के समय अथवा उपभोक्ता द्वारा यूपीसीएल के सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क करने पर दिया जायेगा।

अतः प्रीपेड मीटर के माध्यम से विद्युत आपूर्ति पाने के इच्छुक उपभोक्ताओं से निवेदन है कि **दिनांक 15-06–2022** तक नीचे दिये गये प्रपत्र को पूर्ण कर सम्बन्धित विद्युत वितरण खण्ड कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), उ0पा0का0लि0

✂ -

प्रीपेड मीटर द्वारा विद्युत आपूर्ति पाने हेतु रूचि की अभिव्यक्ति

1–उपभोक्ता का नाम –

2–पता –

3–सम्बन्धित विद्युत वितरण खण्ड का नाम -

4–संयोजन संख्या –

5–अनुबन्धित विद्युत भार –

6–मोबाइल नं0 –

दिनांक: उपभोक्ता के हस्ताक्षर

संलग्नक 2

Details of categories for which tariff has been uploaded in the liberty Software (Client)

1- RTS-1: 2-1-1.2 other domestic consumers (<=4 KW)

2- RTS-1: 2-1-1.2 other domestic consumers (4 KW<load<=10)

3- RTS-1: 2-1-1.2 other domestic consumers (>10 KW)

4- RTS-1A: 2-1 Domestic snowbound consumers (<= 10 KW)

5- RTS-1A: 2-1 Domestic snowbound consumers (>10 KW)

6- RTS-1A: 2-2 Non-Domestic snowbound consumers (upto 1KW)

7- RTS-1A: 2-3 Non-Domestic snowbound consumers (4>load>1KW)

8- RTS-1A: 2-4 Non-Domestic snowbound consumers (>4KW)

9- RTS-2: 2-1.1-a Non Domestic Government/Municipal Hospitals (Upto 4kW) for pure central /state govt. connection

10- RTS-2: 2-1.1-a Non Domestic Government/Municipal Hospitals (4kW<Load<= 25kW) for pure central /state govt. connection

11- RTS-2: 2-1.1-a Non Domestic Government/Municipal Hospitals (Upto 4kW) for other than pure central /state govt. connection

12- RTS-2: 2-1.1-a Non Domestic Government/Municipal Hospitals (4kW<Load<= 25kW) for other than pure central /state govt. connection

13- RTS-2: 2-1.2-b Other Non Domestic Users (Upto 25kW)

14- RTS-2: 2-1.4 Independent Advertisement Hoardings (Upto 25kW)

15-RTS-3A: 2-1 Govt. Public Utilities {A pertains to Public Lamps (Urban)}

16-RTS-3A: 2-1 Public Lamps {A pertains to Public Lamps (Rural)}

17-RTS-4: Private Tube Wells/Pumping Sets (Upto 25kW)

18-RTS-4A: Agriculture Allied Activities (Upto 25kW)

19-RTS-3B: 2-1 Govt. Public utilities {B pertains to Government Irrigation System (Upto 25kW)}

20-RTS-3C: 2-1 Govt. Public utilities {C pertains to Public Water Works, Urban (Upto 25kW)}

21-RTS-3C: 2-1 Govt. Public utilities {C pertains to Public Water Works, Rural (Upto 25kW)}

22-RTS-5: 2-1.1 LT Industry (Upto 25kW)

23-RTS-8: Temp Connection for Other Domestic (<=4KW)

24-RTS-8: Temp Connection for Other Domestic (4kW<Load<=10KW)

25-RTS-8: Temp Connection for Other Domestic (>10KW)

26-RTS-8: Temp Connection for Other Non Domestic (Upto 25kW)

27-RTS-8: Temp Connection for Domestic Snowbound Consumers (<=10kW)

28-RTS-8: Temp Connection for Domestic Snowbound Consumers (>10kW)

29-RTS-8: Temp Connection for Non Domestic Snowbound Consumers (Upto 1kW)

30-RTS-8: Temp Connection for Non Domestic Snowbound Consumers (1 kW<load<=4kW)

31-RTS-8: Temp Connection for Non Domestic Snowbound Consumers (>4kW)

Details of categories for which tariff has been uploaded in the liberty portal (Sahaj)

1- RTS-1:	2-1-1.2 other domestic consumers (<=4 KW)
2- RTS-1A:	2-1 Domestic snowbound consumers (<=10 KW)
3- RTS-1A:	2-2 Non-Domestic snowbound consumers (upto 1KW)
4 RTS-1A:	2-3 Non-Domestic snowbound consumers (4>load>1KW)
5- RTS-2:	2-1.1-a Non Domestic Government/Municipal Hospitals (Upto 4kW) for pure central /state govt. connection
6- RTS-2:	2-1.1-a Non Domestic Government/Municipal Hospitals (Upto 4kW) for other than pure central /state govt. connection
7- RTS-2:	2-1.2-b Other Non Domestic Users (Upto 4kW)
8-RTS-8:	Temp Connection for Other Domestic (<=4KW)
9-RTS-8:	Temp Connection for Domestic Snowbound Consumers (<=4kW)
10-RTS-8:	Temp Connection for Non Domestic Snowbound Consumers (Upto 1kW)
11-RTS-8:	Temp Connection for Non Domestic Snowbound Consumers (1 kW<load<=4kW)
12. RTS-8	Temp connection for other non domestic upto 4KW

सलंग्नक 3

Details of categories for which tariff has not been uploaded in the liberty Software due to software constraints

1. Domestic consumer upto 2 KW and using some portion of the premises for non-domestic purpose
2. RTS-1 Domestic 2:1:1.1 BPL/ Life Line consumer
3. RTS-2 Non-Domestic 2:1.2 :(a) Other non-domestic